-:: कार्यालय कलेक्टर (कोषालय शाखा), जिला-बालोद (छ.ग.) ::-

दूरभाष/फैक्स क्रमांक-07749-223730, email-id-st.balod.cg@nic.in

क्रमांक/ /कलेक्टर/जि.को.अ./स्था./2017-18 बालोद, दिनांक /03/2018

प्रति,

समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी
जिला बालोद (छ.ग.)

विषय :- नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अभिदाताओं का वेतन समय पर जमा/भुगतान नहीं होने पर अभिदाताओं को होने वाली ब्याज की हानि की वसूली के संबंध में।

संदर्भ :- छ.ग. शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का पत्र क्रमांक 142/एफ 2018-04-04105/वि./नि./चार दिनांक 22.03.2018 (वित्त निर्देश 14/2018)

--00--

कृपया विषयांकित परिप्रेक्ष्य में संदर्भित वित्त निर्देश का सूक्ष्म अवलोकन करें। जिसमें पूर्व में जारी वित्त निर्देश 49/2017 में वर्णित निर्देश **"नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अभिदाताओं का मासिक वेतन माह की 21 से 26 तारीख के मध्य कोषालय में जमा करने के निर्देश"** का अक्षरसह पालन नहीं होने के कारण अभिदाताओं को होने वाली ब्याज की हानि की वसूली की कार्यवाही एवं वेतन रोकने का आदेश प्रसारित किया गया है।

अतः संदर्भित वित्त निर्देश के कंडिका 04 के प्रकाश में समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी स्वयं का वेतन देयक पृथक बिल में बिल युनिट 999 में तैयार कर कोषालय में प्रस्तुत करें साथ ही सी.पी.एस. अभिदाताओं का वेतन बिल (माह मार्च का वेतन छोड़कर) माह की 21 से 26 तारीख के मध्य अनिवार्य रूप से कोषालय/उप कोषालय में जमा कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। 26 तारीख के बाद बिल जमा कराने की स्थिति में उसी माह वेतन भुगतान नहीं होने पर समस्त सी.पी.एस. अभिदाताओं को होने वाले ब्याज की हानि की वसूली निर्देश पत्र की कंडिका 04 के अनुसार की जावेगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(डॉ. सारांश मित्तर)
कलेक्टर
बालोद (छ0ग0)

पृ. कमांक/ 385 /कलेक्टर/जि.को.अ./स्था./2017–18 बालोद, दिनांक 26/03/2018

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन छ.ग. इन्द्रावती भवन ब्लॉक एक प्रथम तल नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
4. DIO बालोद की ओर वित्त निर्देश 14/2018 की प्रति सहित जिला प्रशासन की वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।

26/3

(डॉ. सारांश मित्तर)
कलेक्टर
बालोद (छ0ग0)

वित्त निर्देश 14/2018

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 142/एफ 2018–04–04105/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 22 मार्च, 2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः–नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अभिदाताओं का वेतन समय पर जमा/भुगतान नहीं होने पर अभिदाताओं को होने वाली ब्याज की हानि की वसूली के संबंध में।

संदर्भः–वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 438/एफ 2017–55–00013/वि/नि/चार, दिनांक 24.10. 2017

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अभिदाताओं का मासिक अंशदान एन.एस.डी.एल. को समय पर जमा किया जाना सुनिश्चित करने हेतु विभागों को शासकीय कर्मचारियों के मासिक वेतन का भुगतान माह के अंतिम कार्यदिवस को अनिवार्य रूप से करने का निर्देश जारी किया गया है। राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नहीं करते हुए वेतन देयक विलम्ब से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप वेतन का भुगतान आगामी माह में होने के कारण नवीन अंशदायी पेंशन योजना के सदस्यों का मासिक अंशदान विलंब से एन.एस.डी.एल. को अंतरित होता है एवं इससे कर्मचारियों को उस माह के ब्याज से वंचित होना पड़ता है।

2/ राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 114/एफ–2018–04–04081/वि/नि/चार दिनांक 14.3.2018 (वित्त निर्देश 11/2018) द्वारा कोषालय संहिता भाग–1 के सहायक नियम 206 में संशोधन करते हुए शासकीय सेवकों के मासिक वेतन का भुगतान (मार्च माह के वेतन को छोड़कर) माह के अंतिम दो कार्यदिवसों में करने का निर्णय लिया गया है, जिससे शासकीय कर्मचारियों के मासिक वेतन का भुगतान उसी माह सुनिश्चित करना आसान होगा।

3/ राज्य शासन द्वारा संदर्भित ज्ञापन में संशोधन करते हुए वेतन देयक कोषालय में प्रस्तुत करने के संबंध में निर्णय लिया गया है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा शासकीय सेवकों का मासिक वेतन देयक उसके देयता तिथि से कम से कम पांच कार्य दिवस पूर्व कोषालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

4/ संदर्भित ज्ञापन में मासिक वेतन का आहरण समय सीमा में न होने की स्थिति में आहरण एवं संवितरण अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने एवं विलंब की स्थिति में अभिदाता को होने वाले ब्याज हानि की वसूली उसके वेतन से करने के निर्देश है। शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया जाता है कि ब्याज की वसूली गत वित्तीय वर्ष में योजनांतर्गत संबंधित अभिदाता द्वारा निवेश पर प्राप्त रिटर्न की दर से तथा नवनियुक्त अभिदाता के मामले में जिनके अभिदान का प्रारंभिक वर्ष है, जी.पी.एफ. पर लागू ब्याज की दर से की जावेगी। ब्याज की राशि की वसूली हो जाने तक कोषालय द्वारा संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी का वेतन देयक पारित नहीं किया जाएगा। अभिदाता को हुई ब्याज की हानि के लिए उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने से पूर्व संबंधित शासकीय सेवक को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जावे। इस हेतु समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों का पृथक वेतन देयक प्रस्तुत किया जावे जिसमें बिल यूनिट 999 अंकित किया जावे।

5/ उपरोक्तानुसार वसूली योग्य ब्याज की राशि का चालान लोक लेखा शीर्ष 8342–अन्य जमा, 117–शासकीय सेवकों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना, (6805) अंशदान ब्याज, में जमा किया जावेगा तथा चालान की मूल प्रति व एनेक्जर–1 में ब्याज का विवरण संबंधित कोषालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिला कोषालय संबंधित सहायक पंजी में प्रविष्टि कर अभिदाता के पी.आर.ए.एन. खाते में ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे। संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा वर्तमान व्यवस्था के तहत ब्याज की राशि का स्थानांतरण ट्रस्टी बैंक को किया जावेगा।

6/ समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

22/3/18

(अमिताभ जैन)
प्रमुख सचिव

पृ.क्र. 143/एफ 2018-04-04105/वि/नि/चार		नया रायपुर, दिनांक 22 मार्च, 2018

प्रतिलिपि,

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल /महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
9. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर

– को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

22.03.18

(राघवेन्द्र कुमार)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी